बलात्कार–क़ानून और सज़ा

क़ानून की भाषा में बलात्कार तब होगा जबकि:

1. स्त्री की इच्छा के ख़िलाफ़ संभोग किया जाए।
2. उसे डरा धमकाकर सम्भोग के लिए राज़ी किया जाए।
3. धोखा देकर स्त्री के साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाए जाएं।
4. दिमाग़ी तौर पर कमज़ोर या पागल स्त्री से संभोग किया जाए।
5. नशे की स्थिति में महिला के साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाए जाएं।
6. सोलह साल से कम उम्र की लड़की के साथ किया हुआ संभोग भी बलात्कार कहा जाएगा। चाहे वह उसकी मर्ज़ी से हुआ हो या मर्ज़ी के खिलाफ़।

यदि कोई पुरुष इन स्थितियों में किसी स्त्री के साथ संभोग करता है तो:-

उसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 के तहत बलात्कार के लिए उसे कम से कम सात साल की सज़ा दी जा सकती है जो बढ़ाकर दस साल या उम्र क़ैद भी की जा सकती है। यदि वह गर्भवती हो जाती है तो बलात्कारी को कम से कम 10 साल की सज़ा होगी।

यदि कोई पुरुष 12-16 वर्ष के बीच उम्र वाली अपनी पत्नी से ज़बरदस्ती या उसकी मर्ज़ी से संभोग करता है तो भी वह बलात्कारी माना जाएगा। ऐसे व्यक्ति को क़ानून दो साल की सज़ा या जुर्माना या फिर दोनों सज़ाएं हो सकती हैं।

12 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ किए गए बलात्कार के लिए कम से कम दस साल की सज़ा होगी।

बलात्कार होने पर क्या करें:-

1. पहने हुए कपड़े न धोएं, न ही बदलें और न ही नहाएं।
2. दोस्त, परिवारजन, पड़ोसी या संगी-साथी को बताएं।
3. तुरन्त पुलिस को सूचना दें। अपने गांव या इलाके के ज़िम्मेदार व्यक्ति को साथ लेकर रिपोर्ट दर्ज करवाएं।
4. ज़ल्द से ज़ल्द अपनी डाक्टरी जांच कराएं व रिपोर्ट लें।

क़ानून सभी की रक्षा करता है। ज़रूरत इस बात की है कि महिलाएं जागरुक हों। बलात्कार किसी लड़की या औरत के लिए शर्म की बात नहीं है। यह उस समाज के लिए शर्मनाक बात है।

कोई भी लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा सकती। वह भी भ्रष्ट समाज और शासन के रहते। इसलिए खुद महिलाओं को एकजुट होकर कस्बा-कस्बा, गांव-गांव अपनी शक्ति बढ़ानी होगी। एकता में ही शक्ति होती है और एकजुट होकर ही हम अपना हक़ आसानी से पा सकते हैं। □

सुनीता ठाकुर

मिलजुलकर नए कानून बनाएं
हक़ बराबर के सबको दिलाएं
कोई आधा न पाये
तो बड़ा मज़ा आए
कोई ज़्यादा न पाए
तो बड़ा मज़ा आए।

आओ बहन एक हो जाएं
बलात्कारी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठायें।